न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 30/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

सहायक नाजिम
दरगाह कमेटी, अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 14.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.01.2023 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार कायड विश्राम स्थली पहुंच कर अप्रमाणिक/अमानक सिलेण्डरों को अवैध रूप से बिना किसी सुरक्षा उपकरणो के उपयोग में लिये जाने के विरूद्व कार्यवाही की गई। कायड विश्राम स्थली में उर्स मेले के दौरान आने वाले जायरिनों द्वारा कायड विश्राम स्थली में बने आवासीय परिसर में जहॉ एक साथ कई जायरीन ठहरे हुए थे, जायरिनो द्वारा अप्रमाणिक/अमानक गैस सिलेण्डरो का उपयोग खाने बनाने हेतु किया जा रहा था। उपयोग किए जा रहे गैस सिलेण्डर एवं सिलेण्डर वालव एवं सिलेण्डर रेगुलेटर गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 में निर्धारित आकार, बनावट, डिजाइन भारतीय मानक विनिर्देशो के अनुरूप नही होना पाया । ऐसे आवासीय परिसर जहॉ बडी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे इस तरह के अमानक सिलेण्डरो का उपयोग से किसी भी बडी दुर्घटना व जनधन हानि का कारण बन सकता है। जॉच में निम्नलिखित जायरीनो के पास अमानक सिलेण्डर पाए गए।

क0सं0	नाम	पता	अमानक सिलेण्डर संख्या
1	इमानुल्लहक	सराईगनी बहारिया इलाहाबाद	1
2	मे. नफीस	फैजाबाद	2
3	सेराज	उत्तर प्रदेश	1
4	साफिया बानो	फैजाबाद	1

जिला कलक्टर
अजमेर

5	अलिम नोराही	फैजाबाद	1
6	सना	उत्तर प्रदेश	2
7	इरफान	इलाहबाद	1
8	अली हैदर	जमगॉव (शाहगंज)	2
9	मो शफी	फैजाबाद	2
10	कासिम	बस्ती	1
11	फातिमा बेगम	इलाहबाद	1
12	मो. बफाती	जेनपुर बदलापुर	2
13	छोटू	बिजवार	1
14	सकिब खान	फैजाबाद	1
15	जहरूनिसा	गोण्डा	1
16	शाखूनिसा	गोण्डा	1
17	असगरी	गोण्डा	1
18	मे. तोफी	गोण्डा	1
19	नूर मोहम्मद	बहराईच	1
20	राजिया खातून	बस्ती	2
21	मोहम्मद अहमद	गोण्डा	1
22	आशिक अली	गोण्डा	1
23	रिजवान	बस्ती	1
24	बादुल्लाह	अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश	1
25	कमर जहॉ पति जावेद	रतनपुर मुदाराबाद	2
26	शहनाज	इलाहबाद	1
27	मोहम्मद यासिर	प्रयाग राज बहरिया	1
28	माया	जिला बहराईच	1
29	जुबेर अहमद	अकबर पुरा	1
30	साबरा खातून	नगरबदली बस्ती	2
31	साबरा	फरीदाबाद	2
32	सलीम मोहम्मद	बदलापुर	1
33	जुगनू	प्रतापगढ नोही गांव	1
34	परामा खा	बेचुखई बैराज	2
35	आमिया खातुन	बस्ती	1
36	मोहम्मद खालिद	बस्ती	1
37	महिमा बीबी	झारखण्ड	1
38	बेचू खां	बहराईच	1
39	शफीक शोला	उत्तरप्रदेश	1
40	शाहजहॉ	बलामपुर उत्तर प्रदेश	1
41	शाजू	उत्तर प्रदेश	1

जिला कलक्टर
अजमेर

42	मो. इकबाब	बस्ती	1

बिना किसी मानका सुरक्षा उपकरणो के अप्रामाणिक सिलेण्डरो का उपयोग किया जाना एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3(1) ख, 4 (1) ड 7 (1) ग का उल्लंघन होने के कारण इन 52 अप्रमाणिक सिलेण्डरो को मय बर्नर जब्त किया जाकर मौके पर ही अमरदीप गैस एजेन्सी के कार्मिक राहुल शर्मा पुत्र श्री चेतन शर्मा को आगामी आदेश तक सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 52 अप्रमाणिक/अमानक सिलेण्डर मय बर्नर को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर । पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.01.2023 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार कायड विश्राम स्थली पहुंच कर अप्रमाणिक/अमानक सिलेण्डरों को अवैध रूप से बिना किसी सुरक्षा उपकरणो के उपयोग में लिये जाने के विरूद्व कार्यवाही की गई। कायड विश्राम स्थली में उर्स मेले के दौरान आने वाले जायरिनों द्वारा कायड विश्राम स्थली में बने आवासीय परिसर में जहॉ एक साथ कई जायरीन ठहरे हुए थे, जायरिनो द्वारा अप्रमाणिक/अमानक गैस सिलेण्डरो का उपयोग खाने बनाने हेतु किया जा रहा था। उपयोग किए जा रहे गैस सिलेण्डर एवं सिलेण्डर वालव एवं सिलेण्डर रेगुलेटर गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 में निर्धारित आकार, बनावट, डिजाइन भारतीय मानक विनिर्देशो के अनुरूप नही होना पाया । ऐसे आवासीय परिसर जहॉ बडी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे इस तरह के अमानक सिलेण्डरो का उपयोग से किसी भी बडी दुर्घटना व जनधन हानि का कारण बन सकता है। बिना किसी मानका सुरक्षा उपकरणो के अप्रामाणिक सिलेण्डरो का उपयोग किया जाना एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3(1) ख, 4 (1) ड 7 (1) ग का उल्लंघन होने के कारण इन 52 अप्रमाणिक सिलेण्डरो को मय बर्नर जब्त किया जाकर मौके पर ही अमरदीप गैस एजेन्सी के कार्मिक राहुल शर्मा पुत्र श्री चेतन शर्मा को आगामी आदेश तक सुपुर्दगी में दिये गये। अतः 52 अप्रमाणिक सिलेण्डरो को मय बर्नर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर रहा । वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस कायड विश्राम स्थली में उर्स मेले के दौरान आने वाले जायरिनों द्वारा कायड विश्राम स्थली में बने आवासीय परिसर में जहॉ एक साथ कई जायरीन ठहरे हुए थे, जायरिनो द्वारा अप्रमाणिक/अमानक गैस सिलेण्डरो का उपयोग खाने बनाने हेतु किया जा रहा था उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये ए 52 अप्रमाणिक सिलेण्डरो को मय बर्नर को आवश्यक

जिला कलक्टर
अजमेर

वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त अप्रमाणिक सिलेण्डरो एवं बर्नर का निस्तारण नियमानुसार करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर